राजनीति का अपराधीकरण एवं चुनाव प्रक्रिया पर उसका दुष्परिणाम

*डॉ. हीरालाल मीणा

सार

लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया किसी भी देश के लिए गौरव का विषय हो सकती है परंतु लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया में यदि अपराधिक तत्वों का आगमन हो जाए तथा वी बलपूर्वक जनसामान्य के मतों को विचारों को परिवर्तित करने पर बल देने लगे तो वह स्थिति लोकतंत्र को सर्वाधिक निकृष्ट प्रकार की शासन व्यवस्था में परिवर्तित कर देगी। भारत में 70 के दशक के आगमन के साथ कुछ ऐसी प्रवृत्तियों ने जन्म लिया जिसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक अपराधीकरण बढ़ता चला गया तथा इसने चुनाव प्रक्रिया पर भी अपने नकारात्मक प्रभाव डालें।

परिचय

राजनीति का अपराधीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों द्वारा राजनीति में सहभागिता की जाने लगती है तथा राजनीतिक प्रक्रिया में ऐसे तत्वों को सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है जो वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है उनके द्वारा ऐसा किए जाने से राजनीतिक सांस्कृतिक करण एवं राजनीतिक परंपरा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है तथा हित अभिव्यक्तिकरण की स्वभाविक प्रक्रिया बाधित होने लगती है।

डॉक्टर एस एस राठौड़ के अनुसार राजनीतिक "अपराधीकरण का आशय अपराधियों का राजनीतिक दलों तथा संसद सहित सभी विदाई संस्थाओं में सीधे प्रवेश से हैराजनीतिक प्रक्रिया और कामकाज को प्रभावित करने के लिए आपराधिक ढंग और तौर-तरीकों का प्रयोग भी राजनीति के अपराधीकरण में ही आते हैं।"

लोकतांत्रिक शासन पद्धति या अत्यंत संवेदनशील होती है यदि इन शासन पद्धतियों में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भी स्तर पर यदि बाधित किया जाए तो उसका परिणाम अत्यंत घातक हो सकता है राजनीतिक अपराधीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी स्तरों पर विचार अभिव्यक्ति को बाधित करती है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों द्वारा विधायिका पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है तथा मनमाने और समाज को क्षति पहुंचाने वाले कानूनों का निर्माण किया जाने लगता है जिसके परिणाम स्वरूपजन सामान्य की विचार अभिव्यक्ति करण की स्वभाविक प्रक्रिया बाधित होती चली जाती है वे न तो विधि निर्माण प्रक्रिया पर अपने विचार अभिव्यक्त कर पाते हैं

और ना ही निर्वाचनों के समय अपने मत का उचित प्रयोग कर पाते हैं।

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का आगमन ऐसी परिवेश में हुआ जहां अशिक्षित गरीब और उपेक्षित वर्ग का बाहुल्य था जिसके परिणाम स्वरुप यह वर्ग अपनी राजनीतिक हितों के प्रति जागरूक नहीं था जिसका फायदा समाज की आपराधिक वर्ग से आने वाली कुछ व्यक्तियों ने उठाया तथा ऐसे व्यक्ति धीरे-धीरे निर्वाचन प्रक्रिया में सम्मिलित होने लगे।यहीं से राजनीति के अपराधीकरण की प्रक्रिया का आरंभ दिखाई देने लगता है।

वस्तुतः है भारतीय राजनीति में प्रारंभिक अवस्था एक दल प्रधान व्यवस्था के रूप में दिखाई देती है साठ के दशक के उत्तरार्ध में कांग्रेस पार्टी की कमजोरी अब किसी विकल्प के न होने की स्थिति ने बहुत हद तक स्थानीय दलों को अपराधिक तत्वों के साथ सांठगांठ करने को बाध्य किया वही कांग्रेस पार्टी ने अपनी कमजोरी की भरपाई करने के लिए भी आपराधिक तत्वों का सहयोग लेना प्रारंभ किया जिसका परिणाम हमें पिछड़े हुए राज्यों में तेजी से बढ़ी चुनाव केंद्रों पर मत पेटियों की लूट के रूप में दिखाई देने लगा बंगाल बिहार उड़ीसा उत्तर प्रदेश ऐसे सामान्य उदाहरण बन गए जहां प्रतिवर्ष मत पेटियां लूट ली जाती थी। इसने निर्वाचन प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव डाला।

अध्ययन का महत्व

किसी भी प्रकार की शासन प्रणाली की सफलता उसके नागरिकों के सक्रिय सहयोग एवं भागीदारी पर निर्भर करती है। यदि कोई प्रक्रिया अथवा तत्व उसकी स्वतंत्र भागीदारी को बाधित करता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव प्रत्यक्षतः शासन प्रणाली पर होगा अतः ऐसी स्थिति में उन तत्वों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाना अपरिहार्य हो जाता है।

भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने तथा निर्वाचन प्रक्रिया में निष्पक्षता लाने के लिए राजनीति के अपराधीकरण का अध्ययन अपरिहार्य है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र में अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य राजनीति के अपराधीकरण का निर्वाचन प्रक्रिया पर हुए दुष्परिणाम का मूल्यांकन करना है इसके साथ ही शोध पत्र में अनेक देशों को भी सम्मिलित किया गया है।

1. राजनीतिक अपराधीकरण के उदय के कारणों को खोजना।
2. राजनीतिक अपराधीकरण के परिणाम स्वरूप सामाजिक मुद्दों की राजनीति में कितना अलगाव आया को परखना।
3. राजनीतिक अपराधीकरण ने निर्वाचन प्रक्रिया में धनबल और बाहुबल को कितना महत्वपूर्ण बना दिया का परीक्षण करना
4. राजनीतिक अपराधीकरण का युवा वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा की खोज करना।

5. राजनीतिक अपराधीकरण ने जनसामान्य के मन मस्तिष्क में राजनीति के प्रति दुराग्रह किस सीमा तक उत्पन्न किया।

अध्ययन की प्राप्तियां

भारतीय राजनीति में अपराधिक तत्वों का आगमन साठ के दशक के उत्तरार्ध में तथा 70 के दशक के पूर्वार्ध में देखने को मिलता है। यह है भारतीय राजनीति का संक्रमण काल भी कहा जाता है इस समय एक और जहां जेपी आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था वही कांग्रेसमें स्वयं में द्वंद उत्पन्न हो रहा था तथा दूसरी ओर राज्यों में प्रथम बार गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल सत्ता में आ रहे थे। इस संक्रमण कॉलोनी समाज के उपेक्षित पिछड़े और खुजली हुई वर्ग में अपेक्षाओं का जवाहर ला दिया जोकि तत्कालीन व्यवस्था द्वारा पूरा किया जाना संभव नहीं था वहीं दूसरी ओर समाज के विभिन्न वर्गों में राजनीतिक सत्ता के प्रति तीव्र आकर्षण उत्पन्न होने लगा और यह आकर्षण इतना प्रबल था कि वे राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार का कार्य करने को तत्पर थे। ऐसी स्थिति में राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के लिए अनैतिक गतिविधियों को बल प्राप्त हुआ राजनीतिक अपराधीकरण इसी का परिणाम था।

शोध पत्र में किए गए अध्ययन से कुछ तत्व उभर कर आते हैं जो भारत में राजनीतिक अपराधीकरण के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदाई रहे हैं।

1. नैतिक मूल्यों का पतन:- भारतीय राजनीति की 20 वर्षों के कार्यक्रम में भारतीय राजनेताओं में अनैतिक वादी प्रवृत्तियों को जन्म दिया। राजनेताओं के मन में सत्ता के प्रति लगाव दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही चला गया जिसका परिणाम यह हुआ कि वे सत्ता में बने रहने के लिए आपराधिक तत्वों से सांठगांठ करने लगे।

2. सामाजिक ढांचे का अविकसित स्वरूप :- स्वतंत्रता के समय भारतीय जनमानस में अत्यधिक अपेक्षाएं भरी पड़ी थी परंतु यथार्थ के धरातल पर उन सभी अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके ना संभव नहीं था ऐसी स्थिति में धीरे धीरे नव स्वतंत्र राष्ट्र में व्यवस्थाओं के प्रति आक्रोश बढ़ता चला गया इस आक्रोश को सामाजिक आधार ढांचे की एवं स्वरूप ने तीव्रता प्रदान की अधिसंख्य जनसमुदाय गरीबी बेरोजगारी शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता से जूझ रहा था जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने आपराधिक तत्वों के प्रति रुझान दिखाना प्रारंभ किया जो उन्हें तात्कालिक लाभ सरलता से उपलब्ध करा देते थे

3. चतुष्कोणीय गठबंधन का जन्म :- सत्ता के प्रति लालसा ने राजनेताओं की ह्रदय में एक नए प्रकार के गठबंधन को जन्म दिया जिसके माध्यम से वे सत्ता में स्थायित्व की प्राप्ति कर लेना चाहती थी इस त्रिकोणीय गठबंधन में एक ओर जहां पूंजीपति थे तो दूसरी ओर नौकरशाह थे तथा तीसरी और आपराधिक तत्व थे और चौथा कौन स्वयं राजनीतिक दल थी इन्होंने संगठित रूप से सत्ता पर किस प्रकार स्थाई रूप से कब्जा किया जा सके के लिए हर प्रकार

के साधनों को प्रयोग में लाना प्रारंभ किया निर्वाचन ओं के समय मतदाताओं को डराना धमकाना पैसे देना अनेक प्रकार के प्रलोभन देना जैसे अनैतिक गतिविधियां प्रारंभ होती चली गई।

4. अनवरत निर्वाचन प्रक्रिया:- भारतीय लोकतंत्र में जिस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया था वह संघात्मक प्रकार की शासन व्यवस्था थी इस शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य दोनों ही के चुनाव समय-समय पर होते रहे इनके अतिरिक्त स्थानीय स्वशासन की इकाइयों की भी चुनाव किसी ना किसी समय निरंतर होते रहे चुनावों की इस अवैध निरंतरता के कारण राजनीतिक दलों का अत्यधिक पैसा खर्च होने लगा इस अत्यधिक व्यापक निर्वाचन प्रणाली ने भारतीय राजनीतिक दलों को अनैतिक तत्वों का सहयोग लेने को बाध्य कर दिया।

5. संपन्न वर्ग में धन संपदा के प्रति लालसा:- नव स्वतंत्र लोकतंत्र में एक ऐसी वर्ग का उदय हुआ जो तेजी से आर्थिक सत्ता की प्राप्ति करता चला जा रहा था तथा धन एवं संपदा का तीव्र संग्रह कर रहा था इस वर्ग ने अपने हितों की पूर्ति के लिए राजनेताओं एवं शासन प्रणाली को साधन के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया यह समय-समय पर राजनेताओं को धन उपहार एवं अन्य प्रलोभन देकर मनमाने कार्य कराने लगी जिसका नकारात्मक प्रभाव यह हुआ कि राजनीतिक दलों में नैतिक तत्वों का तेजी से हास होने लगा और यहीं से अपराधिक तत्वों का राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश भी प्रारंभ हुआ।

6. राजनेताओं की कार्य क्षमता एवं गुणवत्ता में तीव्र कमी :- राष्ट्रीय आंदोलन के यज्ञ से जो राजनेता निकल कर आए थे वह अब इस दुनिया में नहीं रहे थे उसके बाद में जो नई पीढ़ी आई उन्हें अपेक्षाकृत इतना संघर्ष नहीं करना पड़ा तथा व्यवहारिक घटनाओं एवं व्यवहारिक क्रियाकलापों के ज्ञान स्तर में पर्याप्त कमी थी। क्षमता एवं गुणवत्ता के अभाव में राजनेताओं ने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के प्रक्रम करना प्रारंभ कर दिया जिसमें वे पूंजीपतियों एवं अपराधियों का सहयोग लेने लगी धीरे-धीरे यह आपराधिक तत्व इन राजनेताओं को प्रतिस्थापित भी करने लगे जो अपराधीकरण के प्रमुख कारण बने।

7. अपराधियों की जनता में स्वीकार्यता:- व्यवस्थाओं पर जैसे-जैसे जंतुओं की अपेक्षाओं का भार बढ़ता गया राजनीति उन अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल होते चले गए ऐसी स्थिति में आपराधिक तत्व सरलता से और किसी भी माध्यम से जनता की समस्याओं को शीघ्र हल कर दिया करते थे जिसका परिणाम यह निकला कि जनसामान्य अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए भी अपराधियों का सहारा लेने लगी क्योंकि वे उन्हें सर्व सुलभ एवं त्वरित रूप से कार्य करने वाले लगने लगे थे।

राजनीति काअपराधीकरण इतना तेजी से बढ़ता चला गया कि संसद में राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती ही चली गई निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के आधार पर चौधरी लोकसभा में 24% सांसद आपराधिक पृष्ठभूमि वाले थे जिनमें से 12% सांसद तो ऐसे थे जिन पर गंभीर प्रकार के अपराधों में अभियोग चल रहा था यह

संख्या 15 वीं लोकसभा में बढ़कर 30% हो गई तथा गंभीर प्रवृत्ति के आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसदों की संख्या 15% हुई राजनीति का अपराधीकरण यहीं पर नहीं रुका 16 वीं लोकसभा में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या 34% थी तथा गंभीर आपराधिक मामलों वाले सांसद 21% हो गए थे।

वस्तुतः वर्तमान में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां 30% से अधिक संसद के सदस्य किसी ना किसी अपराध में संलग्न है और यह अपराध की प्रवृत्ति इन्हें निरंतर और अधिक अनैतिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहती है जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणाम निर्वाचन प्रणाली पर पड़ता है। यह निश्चित है कि ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति पूर्ण नैतिकता एवं विधि का पालन करते हुए निर्वाचित नहीं होते होंगे अपितु धन बल एवं भुजबल के साधनों का प्रयोग निश्चित ही करते होंगे ऐसी स्थिति में निर्वाचन प्रणाली दूषित होती चली जा रही है।

सुझाव

राजनीतिक प्रणाली के दूषित होने की प्रक्रिया जितनी सरलता के साथ में प्रारंभ होती है उस दूषण को दूर करने के लिए उतना ही अधिक प्रयास करना होगा।

1. जब तक भारतीय जनमानस की ह्रदय में लोकतंत्र के प्रति दृढ़ आस्था को विकसित नहीं कर दिया जाता तब तक राजनीति के अपराधीकरण की प्रवृत्ति को रोका जा सके ना संभव नहीं होगा।पता है हमें इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति करण एवं समाजीकरण की प्रक्रिया को अपनाना होगा जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति दृढ़ आस्था का विकास हो सके।
2. निर्वाचन प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता प्रतीत होने लगी है। वर्तमान समय में आधार प्रणाली के द्वारा संपूर्ण भारतीयों की बायोमेट्रिक आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं इन बायोमेट्रिक आंकड़ों को मतदान प्रक्रिया से जोड़ा जाना चाहिए।यदि बायोमेट्रिक प्रणाली को मतदाताओं से जोड़ा जाएगा तो अनुचित मत एवं फर्जी मतों की प्रक्रिया बंद हो सकेगी।
3. राजनीति में अपराधीकरण के तत्वों को नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का कठोरता पूर्वक अनुपालन किया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति जिनके प्रति कोई आपराधिक मामला बनता हो को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।
4. कोई भी शासन प्रणाली अपने नागरिकों के सक्रिय सहयोग पर ही निर्भर करती है भारतीय जनमानस के सक्रिय सहयोग के लिए यह आवश्यक है कि भारतीय जनमानस में नैतिक तत्वों का बचपन से ही विकास किया जाए इसके लिए स्कूलों और कॉलेजों में पाठ्यक्रम इस प्रकार से निर्मित किए जाने चाहिए ताकि नैतिक मूल्यों का विकास सुनिश्चित हो सके।

5. राजनीति के अपराधीकरण को रोकने में एक सबसे बड़ी बाधा पुलिस पर राजनीतिक नियंत्रण का होना रहा हैयदि हमें राजनीति को अपराधिक तत्वों से मुक्त करना है तो पुलिस प्रशासन को स्वायत्तता प्रदान करनी होगी तथा पुलिस अधिनियम में आवश्यक संशोधन करते हुए इसे और अधिक जिम्मेदार संगठन के रूप में विकसित करना होगा।

6. ऐसी व्यक्ति जिनकी विरुद्ध आपराधिक गतिविधियां सिद्ध हो चुकी हैं उन्हें सदस्यों के लिए निर्वाचन प्रणाली में भागीदारी करने के लिए अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए वर्तमान में यह योग्यता केवल 6 वर्ष की अवधि के लिए रहती है इस अवधि को बढ़ाकर जीवन पर्यंत अयोग्यता का उपबंध जोड़ा जाना चाहिए।ऐसा किए जाने से राजनीतिक प्रवृत्ति वाले लोग राजनीति से सदैव के लिए दूर हो जाएंगे।

7. राजनीति के अपराधीकरण में एक सबसे बड़ा कारण काले धन की समस्या का आता है कालेधन ने राजनीतिक अपराधीकरण को बड़ी तेजी से बढ़ने में सहायता प्रदान की है।मुद्रा एवं पूंजी बाजार की नियामक संस्थाओं को ऐसे काले धन को नियंत्रित एवं प्रतिबंधित करने के लिए कठोर प्रक्रियात्मक कदमों को उठाना चाहिए।यदि हम काले धन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सके तो बहुत हद तक राजनीति के अपराधीकरण को रोक देंगे।

निष्कर्ष

भारतीय लोकतंत्र अभी शिशु अवस्था में है अमेरिकी लोकतंत्र जिसने 200 से अधिक वर्षों की लंबी जीवन यात्रा कर ली है तथा ब्रिटेन का लोकतंत्र जिसने कई 100 वर्ष की जीवन यात्रा पूरी की है उसके विरुद्ध या विपरीत भारतीय लोकतंत्र ने अभी कुछ दशक ही पूरे किए हैं वर्तमान में आपराधिक तत्वों की सहभागिता से उत्पन्न हुई समस्याएं लोकतंत्र को कमजोर करने मैं लगी हुई है।भारतीय लोकतंत्र में निश्चित रूप से आपराधिक तत्वों की समस्या रही है और इसने निर्वाचन प्रणाली पर भी नकारात्मक प्रभाव डाले हैं परंतु एक सशक्त निर्वाचन आयोग की उपस्थिति में ऐसी गतिविधियों को सदैव ही हतोत्साहित करने का कार्य किया है।भारतीय निर्वाचन आयोग ने पूर्ण दृढ़ता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया है तथा समय-समय पर वह राजनीति में अपराधिक तत्वों के प्रवेश पर प्रतिबंध के लिए प्रयास भी करता रहता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी के समय आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने तथा अर्जित संपत्ति के ब्योरे की उद्घोषणा करने जैसे कदमों के द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के प्रति जन मानस में नकारात्मक भाव उत्पन्न करने का प्रयास हुआ है।वहीं दूसरी ओर भारतीय निर्वाचन आयोग ने ऐसे उम्मीदवारों जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले में सजा घोषित कर दी गई है को निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी करने की अयोग्य घोषित कर दिया है। इसके साथ ही धन बल एवं बाहुबल के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का प्रयोग प्रारंभ किया है तथा चुनाव प्रचार के समय अनेक प्रकार की प्रतिबंधों के माध्यम से धन के प्रयोग को सीमित करने का प्रयास किया है।

भारतीय निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रक्रिया को आपराधिक तत्वों की प्रभाव से मुक्त कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय जनमानस धीरे-धीरे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति और अधिक सजग हो सकेगा और उसकी यह सजगता राजनीति को अपराधिक तत्वों से मुक्त करने में सहायता करेगी।

*व्याख्याता
राजकीय महाविद्यालय
करौली (राज.)

संदर्भ ग्रंथ

1. भारतीय शासन एवं राजनीति बी एल फडिया साहित्य भवन आगरा
2. भारतीय राजनीति एसएम सईद
3. राजस्थान पत्रिका
4. दैनिक भास्कर
5. भारतीय निर्वाचन आयोग के विभिन्न प्रतिवेदन